



प्रेस नोट पुलिस मुठभेड थाना अरांव दिनांक 05-10-2026 जनपद फिरोजाबाद ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा एवं श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा के निर्देशन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांगहे के निकट पर्यवेक्षण में थाना अरांव पुलिस टीम द्वारा वाहन में सवारी बैठाकर चोरी/लूट करने वाले अंतर्जनपदीय गैंग का किया गया खुलासा ।

दिनांक 12/09/2026 को वादी को सवारी के रूप में बैठाकर वादी के साथ की गयी चोरी/लूट की घटना में वांछित अभियुक्त पंकज उर्फ राजा उर्फ मानवेन्द्र पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार ।

- पुलिस मुठभेड के दौरान पैर में गोली लगने से शातिर अभियुक्त पंकज उर्फ राजा उर्फ मानवेन्द्र हुआ घायल ।
- अभियुक्त पंकज उर्फ राजा उर्फ मानवेन्द्र के 01 अन्य साथी अभियुक्त सीमान्त पुत्र राघवेन्द्र सिंह निवासी मैन रोड मसैनी चौराहा थाना कोतवाली जनपद फर्रुखाबाद को थाना अरांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04/10/2026 को चोरी/लूटे गये रुपये-चोरी/लूटी गयी अंगूठी बेचकर प्राप्त रुपयों में से 4,200/- रुपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार UP-78-FN-9245 बरामदगी सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।
- अभियुक्त पंकज उर्फ राजा उर्फ मानवेन्द्र के कब्जे से चोरी/लूटे गये रुपये-चोरी/लूटी गयी अंगूठी बेचकर प्राप्त रुपयों में से 4,800/- रुपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 01 पल्सर मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद ।
- अभियुक्त पंकज उर्फ राजा उर्फ मानवेन्द्र के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में करीब 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं ।
- घायल अभियुक्त पंकज उर्फ राजा उर्फ मानवेन्द्र को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल में कराया गया भर्ती ।

वादी रविन्द्र सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना धिरोर जनपद मैनपुरी द्वारा थाना अरांव पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 12/09/2026 को वादी को सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा बैठाकर वादी से 01 सोने की अंगूठी व 5,000/- रुपये चोरी कर लिये तथा वादी को अरांव बाईपास पर छोड़कर, कार से मौके से फरार हो गये । वादी मुकदमा द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अरांव पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 303(2) बीएनएस0 बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा, जोन आगरा व श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा के निर्देशन में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांगहे के निकट पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों की

गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना अरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 158/26 धारा 303(2) बीएनएस0 का सफल अनावरण कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उद्देश्य से थाना अरांव एवं एसओजी/सर्विलांस सहित 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। थाना अरांव पुलिस टीम द्वारा की गयी विवेचना के दौरान 03 अभियुक्तों 01. अभियुक्त राजा उर्फ पंकज उर्फ मानवेन्द्र पुत्र चन्द्रभान गिहार निवासी लाल गेट थाना कादरी गेट जनपद फर्रुखाबाद, 02. सीमान्त पुत्र राघवेन्द्र सिंह निवासी मैन रोड मसैनी चौराहा थाना कोतवाली जनपद फर्रुखाबाद व 03. सोनू पुत्र मिघनी निवासी लाल दरवाजा चौराहा के पास थाना कादरी गेट जनपद फर्रुखाबाद का नाम प्रकाश में आया। इसी क्रम में दिनांक 04/10/2026 को थाना अरांव पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना अरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 158/26 में वांछित 01 अभियुक्त सीमान्त पुत्र राघवेन्द्र सिंह निवासी मैन रोड मसैनी चौराहा थाना कोतवाली जनपद फर्रुखाबाद को चोरी/लूटे गये रुपये-चोरी/लूटी गयी अंगूठी बेचकर प्राप्त रुपयों में से 4,200/- रुपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट डिजायर कार UP-78-FN-9245 बरामदगी सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। प्रकरण में वांछित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना अरांव पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा प्रभावी दबिश दी जा रही थी इसी क्रम में आज दिनांक 05-10-2026 को थाना अरांव पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 158/26 धारा 303(2) बीएनएस0 में वांछित अभियुक्त पंकज उर्फ राजा उर्फ मानवेन्द्र थाना अरांव क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में मोटर साइकिल से घूम रहा है। उक्त सूचना पर थाना अरांव पुलिस टीम द्वारा मैनपुरी शिकोहाबाद रोड़ से टोडरपुर बोथरी बम्बा पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु घेराबंदी कर अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया गया। घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम को नजदीक आता देख अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम पंकज उर्फ राजा उर्फ मानवेन्द्र पुत्र चन्द्रभान गिहार निवासी लाल गेट थाना कादरी गेट जनपद फर्रुखाबाद बताया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त की पहचान थाना अरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 158/26 धारा 303(2) बीएनएस0 में वांछित अभियुक्त के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 पल्सर मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट, चोरी/लूट किये गये रुपये-चोरी/लूटी गयी अंगूठी बेचकर प्राप्त रुपयों में से 4,800/- रुपए बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त पंकज उर्फ राजा उर्फ मानवेन्द्र को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1. पंकज उर्फ राजा उर्फ मानवेन्द्र पुत्र चन्द्रभान गिहार निवासी लाल गेट थाना कादरी गेट जनपद फर्रुखाबाद।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1. चोरी/लूट किये गये रुपये-चोरी/लूटी गयी अंगूठी बेचकर प्राप्त रुपयों में से 4,800/- रुपये।
2. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
3. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।
4. 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
5. 01 पल्सर मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पंकज उर्फ राजा उर्फ मानवेन्द्र-

1. मु0अ0सं0 208/2023 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर ।
2. मु0अ0सं0 66/2023 धारा 324/382 भादवि0 थाना निगोई जनपद शाहजहांपुर ।
3. मु0अ0सं0- 326/2023 धारा 392/411/420 भादवि0 थाना एस.एम. साउथ जनपद शाहजहांपुर ।
4. मु0अ0सं0- 370/2023 धारा 307/399/402 भादवि0 व धारा 25/27/3/4 आर्म्स एक्ट थाना एस.एम. साउथ जनपद शाहजहांपुर ।
5. मु0अ0सं0 495/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना एस.एम. साउथ जनपद शाहजहांपुर ।
6. मु0अ0सं0 208/2021 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई ।
7. मु0अ0सं0 497/2016 धारा 394 भादवि थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
8. मु0अ0सं0 694/2016 धारा 394/411 भादवि थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
9. मु0अ0सं0 697/2016 धारा 389 भादवि थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
10. मु0अ0सं0 32/2020 धारा 379/411 भादवि थाना तिर्वा जनपद कन्नौज ।
11. मु0अ0सं0 348/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तिर्वा जनपद कन्नौज ।
12. मु0अ0सं0 158/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ।
13. मु0अ0सं0 160/2026 धारा 109(1) बीएनएस0 व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री मुकेश कुमार सर्विलांस प्रभारी मय टीम जनपद फिरोजाबाद ।
2. एसओजी प्रभारी श्री प्रेम शंकर पांडेय मय टीम जनपद फिरोजाबाद ।
3. थानाध्यक्ष योगेन्द्र सिंह थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ।
4. उ0नि0 राजेश कुमार थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ।
5. उ0नि0 ओम सिंह थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ।
6. मुख्य आरक्षी 959 कुशलपाल सिंह थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ।
7. मुख्य आरक्षी 816 रमेश चन्द्र थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ।
8. कां0 1012 शाहरूख हसन थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ।
9. कां0 1377 आर्तिक त्यागी थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ।
10. कां0 1493 आजम थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद ।